क्रम संख्या–05

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0एन0–30/03
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग–1, खण्ड (क)
(उत्तरांचल अधिनियम)

देहरादून, बृहस्पतिवार, 08 जनवरी, 2004 ई0
पौष 18, 1925 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन
विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 490/विधायी एवं संसदीय कार्य/2003
देहरादून, 08 जनवरी, 2004

अधिसूचना
विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तरांचल विधान सभा द्वारा पारित उत्तरांचल आकस्मिकता निधि अधिनियम (संशोधन) विधेयक, 2003 पर दिनांक 06–01–04 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तरांचल अधिनियम संख्या 22, सन् 2003 के रूप में सर्व–साधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है :

उत्तरांचल आकस्मिकता निधि अधिनियम (संशोधन) अधिनियम, 2003
(उत्तरांचल अधिनियम संख्या 22, सन् 2003)

[भारत गणराज्य के चौवनवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित]

उत्तरांचल राज्य की आकस्मिकता निधि की जमा धनराशि में वृद्धि की व्यवस्था करने के लिए

अधिनियम

चूंकि "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 267 के खण्ड (2) द्वारा राज्यों के विधान मण्डल को अन्य बातों के अतिरिक्त यह भी शक्ति दी गई है कि वह अपने–अपने राज्य के लिए विधि द्वारा राज्य आकस्मिकता निधि की व्यवस्था कर सकें;

और चूंकि, उत्तरांचल राज्य की आकस्मिकता निधि में जमा धनराशि में वृद्धि की व्यवस्था करना समीचीन हो गया है;

अतः भारत गणराज्य के चौवनवें वर्ष में उत्तरांचल विधान सभा द्वारा एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिनियम अधिनियमित किया जाता है :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) यह अधिनियम उत्तरांचल आकस्मिकता निधि (संशोधन) अधिनियम, 2003 कहा जायेगा।

(2) यह अध्यादेश प्रख्यापित होने की तिथि से प्रभावी समझा जायेगा।

मूल अधिनियम की धारा 4 में संशोधन

2. उत्तरांचल आकस्मिकता निधि अधिनियम, 2001 (अधिनियम संख्या 02, सन् 2001) की धारा 4 में शब्द "तीस" के स्थान पर शब्द "पचासी" प्रतिस्थापित किया जाता है।

निरसन और अपवाद

3. (1) उत्तरांचल आकस्मिकता निधि अधिनियम (संशोधन) अध्यादेश, 2003 (अध्यादेश संख्या 9, सन् 2003) निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अध्यादेश के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के सभी उपबन्ध सारवान समय पर प्रवत्त थे।

आज्ञा से,
बी0 लाल,
सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of The Uttaranchal Contingency Fund Act (Amendment) Bill, 2003, Uttaranchal Adhiniyam Sankhya 22 of 2003.

As passed by the Uttaranchal Legislative Assembly and assented to by the Governor on 06 January, 2004.

No. 490/Vidhayee and Sansadiya Karya/2003
Dated Dehradun, January 08, 2004

NOTIFICATION

Miscellaneous

THE UTTARANCHAL CONTINGENCY FUND ACT (AMENDMENT) ACT, 2003

(UTTARANCHAL ACT NO. 18 OF 2003)

to provide for the increase in the credit of the Contingency Fund for the State of the Uttaranchal

AN
ACT

WHEREAS, clause (2) of Article 267 of the Constitution of India provides, inter allia, that the Legislature of a State may, by law, establish a Contingency Fund for the State;

AND WHEREAS, it has become expedient to provide for the increase in the credit of the Contingency Fund of the State of Uttaranchal;

THEREFORE it is hereby enacted by the Uttaranchal Assembly in the Fifty-fourth Year of Republic of India as follows :--

Short title and Commencement

1. (1) This Act may be called The Uttaranchal Contingency Fund (Amendment) Act, 2003.

(2) It shall be deemed to have come into force from the date of promulgation of the ordinance.

2. In section 4 of The Uttaranchal Contingency Fund Act, 2001 (Act no. 02 of 2001), the word "Thirty" is substituted by the word "Eighty five". *Amendment in section 4 of the principal Act*

3. (1) The Uttaranchal Contingency Fund Act (Amendment) Ordinance, 2003 (Ordinance no. 9 of 2003) is hereby repealed; *Repeal and Savings*

(2) Notwithstanding such repeal anything done or any action taken under the ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under this Act were in force at all material times.

By Order,

BHAROSI LAL,

Secretary.

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 05 विधायी/10–2004–500 (कम्प्यूटर/रीजियो)।